

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 225/2016

संस्थित दिनांक-04.05.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- अरविंद पुत्र हाकिमसिंह गुर्जर उम्र
निवासी ग्राम कंठवा गुर्जर थाना गोहद जिला भिण्ड
- पूर्व से निर्णित 1. .सब्जा उर्फ सत्यपाल पुत्र मुंशीसिंह गुर्जर
उम्र 22 साल, निवासी ग्राम कैथोदा थाना एण्डोरी
जिला भिण्ड म0प्र0
- पूर्व से निर्णित 2. सतीश पुत्र रुस्तमसिंह गुर्जर उम्र 21 साल
- पूर्व से निर्णित 3. बंटी पुत्र गब्बरसिंह गुर्जर उम्र 28 साल
निवासीगण ग्राम बंकेपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 22.05.2017 को घोषित}

अभियुक्त अरविंद पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 13-14.01.16 की दरम्यानी रात आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत फरियादी के मकान के दरवाजे के सामने ग्राम राय की पाली से फरियादी के आधिपत्य का एक टेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 को बिना उसकी सहमति के हटाकर ले जाकर चोरी कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सब्जा उर्फ सत्यपाल, सतीश, बंटी के संबंध में दिनांक 23.01.2017 को निर्णय घोषित किया जा चुका है, इस निर्णय द्वारा अभियुक्त अरविंद के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी अजीत सिंह तोमर दि0 13.01.2016 को रोजाना की तरह अपने टेक्टर क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 महिन्द्रा कंपनी को अपने मकान के दरवाजे के सामने खड़ा करके सो गए, जब सुबह जागा तो वहां पर टेक्टर नहीं था। आसपास तलाश करने पर भी टेक्टर नहीं मिला। दिनांक 13-14 जनवरी, 2016 कोई अज्ञात चोर उसे चुरा ले गया। टेक्टर की कीमत करीब 95000/-रुपए होगी। उक्त आशय की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर दिनांक 15.01.2016 को की गई। दौराने अनुसंधान नक्शमौका बनाया गया। साक्षियों

के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त से पूछताछ कर धारा 27 के मेमोरेण्डम लिए। उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया एवं जप्ती कर जप्तीपत्रक बनाया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा उनके निर्दोष होने एवं रंजिशन झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 13-14.01.16 की दरम्यानी रात आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत फरियादी के मकान के दरवाजे के सामने ग्राम राय की पाली से फरियादी के आधिपत्य का एक टेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 की चोरी हुई ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान से फरियादी के आधिपत्य का एक टेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 को बिना उसकी सहमति के हटाकर ले जाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अजीतसिंह अ0सा0 1, मनोजसिंह अ0सा0 2, उदय अ0सा0 3, भगवती प्रसाद अ0सा0 4, लक्ष्मणसिंह अ0सा0 5, रामकुमार पाठक अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. फरियादी अजीत सिंह अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना जनवरी माह की है। वे घर पर खाना खा-पीकर सो गये थे। जब सुबह जागा तो टेक्टर दरवाजे पर नहीं था। आसपास तलाश की, किंतु टेक्टर नहीं मिला। उसी दिन थाना गोहद चौराहा में प्र0पी0 1 की रिपोर्ट की थी जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। फरियादी के कथन की पुष्टि प्राथमिकी प्र0पी0 1 से हो रही है। घटनास्थल का नक्सामौका प्र0पी0 2 बनाया उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। मनोज अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि उनके भाई अजीत का टेक्टर आर0जे0 2 आई0आर0 9258 एक साल पहले जनवरी के माह में घर के बाहर रखकर खाना खा पीकर अंदर सो गए थे, सुबह उठे तो टेक्टर रखे स्थान पर नहीं मिला, तलाश करने पर भी नहीं मिला। सुबह थाना गोहद चौराहा में रिपोर्ट की थी। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथनों को अभियुक्त की ओर से चुनौती नहीं दी गई। मात्र यह सुझाव दिया गया कि उन्होंने चोरी करते हुए किसी आरोपी को नहीं देखा। प्र0पी0 1 की रिपोर्ट अज्ञात चोर के संबंध में की गई है। ऐसे में उक्त कथित चोरी की घटना का कोई खण्डन नहीं किया गया है।

8. प्रकरण में दोनों ही साक्षियों द्वारा घटना के संबंध में अजीत सिंह के घर के दरवाजे के सामने से टेक्टर महिन्द्रा क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 के चोरी होने के संबंध में पुष्टि की गई है, किंतु कोई सारवान खण्डनात्मक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी दशा में खण्डन के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 13-14 जनवरी, 2016 को फरियादी अजीत सिंह के आधिपत्य का टेक्टर क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 की चोरी कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या अभिकथित चोरी अभियुक्त द्वारा कारित की गई ?

विचारणी प्रश्न क्रमांक 02

9. फरियादी अपने अभिसाक्ष्य में किसी भी अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखे जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी उदयपाल अ0सा0 3 एवं भगवती प्रसाद अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया। उक्त दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में पक्षविरोधी हो गए। अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्नों में इस सुझाव से इंकार करते हैं कि दिनांक 13-14 जनवरी 2016 की दरम्यानी रात जब वे रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में अभिकथित टेक्टर चलाते हुए और दो आदमी साईड में बैठे होने के तथ्य पुलिस को बताने से इंकार करते हैं। साक्षीगण द्वारा उनके पुलिस कथन क्रमशः प्र0पी0 3 व 4 में उक्त कथन किए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से प्रकरण में ऐसी कोई भी चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं हैं जो कि अभिकथित टेक्टर को अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तगण के साथ चुराते हुए अथवा चोरी कर ले जाते हुए देखने के तथ्य का समर्थन करता हो। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रंखला पर निर्भर हो जाता है।

10. लक्ष्मणसिंह अ0सा0 5 दिनांक 11.03.17 को अभियुक्त अरविंद को फार्मल गिर0 कर प्र0पी0 5 का गिर0 पत्रक बनाए जाने एवं उसी दिनांक को अभियुक्त का ज्ञापन अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधि0 लिए जाने का कथन करते हैं। साक्षी यह कथन करते हैं कि अभियुक्त ने उसे जानकारी दी थी कि सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर टेक्टर आर0जे0 2 आई0आर0 9258 को चोरी किया था जिसे बेचने के लिए ले जा रहे थे तथा डीजल खत्म हो जाने से गोहद-मौ रोड पर छोड़कर चले गए। प्र0पी0 6 का मेमोरेण्डम बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 25 यह उपबंधित करती है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त की की गयी संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना –“कोई भी संस्वीकृति जो व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजि0 की साक्षात उपस्थिति में न की गयी हो।”

इस सिद्धांत के अपवाद सवरूप धारा 27 में उपबंधित है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जावेगी। “परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य

दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद् द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

11. इस प्रकार से उपरोक्त प्रावधान के अनुसार जहां अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी से किसी सुसंगत तथ्य का पता चलता है, वह तथ्य अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित किया जा सकता है। इस प्रकरण में अभियुक्त के मेमोरेण्डम धारा 27 प्र0पी0 6 के आधार पर अभिकथित टेक्टर को बेचने के लिए ले जाते समय गोहद मौ रोड पर टेक्टर का डीजल खत्म हो जाने के कारण उसे छोड़कर भाग जाने का तथ्य लेख किया गया है। प्र0पी0 6 के दस्तावेज के आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो अर्थात् संपत्ति जब्त हुई हो, ऐसा नहीं है, बल्कि अभियुक्त का मेमोरेण्डम प्र0पी0 6 दिनांक 11.03.17 को लेख किया गया, जबकि प्रकरण में चोरी हुआ टेक्टर स्वयं अभियोगपत्र के अनुसार दिनांक 29.01.16 को गोहद से मौ रोड बंबा के आगे आम रोड पर जब्त होना दर्शाया गया है। इस प्रकार से प्रपी0 6 के दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में सुदृढ आधार नहीं पाए जाते हैं।

12. अभिकथित टेक्टर की जप्ती के अनुसार लोक मार्ग पर गोहद मौ रोड बम्बा के पास लावारिस अवस्था में हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कथन अभिुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी तथ्य का पता चलने पर तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है, किंतु अपराध की विषय वस्तु किसी ऐसे स्थान पर होती है, तो सार्वजनिक एवं किसी भी व्यक्ति के लिए पहुंच के योग्य है तो ऐसी दशा में ऐसी जप्ती का कोई आचित्य नहीं है। इस संबंध में **न्यायादृष्टांत STATE OF H.P./s.JEET SINGH AIR 1999 SC 1293 :1999 (4) SCC 370** की ओर आकर्षित होता है, जिसमें अभिर्निधारित किया गया—

para26. There is nothing in Section 27 of the Evidence Act which renders the statement of the accused inadmissible if recovery of the articles was made from any place which is "open or accessible to others". It is a fallacious notion that when recovery of any incriminating article was made from a place which is open or accessible to others it would vitiate the evidence under Section 27 of the Evidence Act. Any object can be concealed in places which are open or accessible to others. For example, if the article is buried on the main roadside or if it is concealed beneath dry leaves lying on public places or kept hidden in a public office, the article would remain out of the visibility of others in normal circumstances. Until such article is disintered its hidden state would remain unhampered. The person who hid it alone knows where it is until he discloses that fact to any other person. Hence the crucial question is not whether the place was accessible to others or not

but whether it was ordinarily visible to others. If it is not, then it is immaterial that the concealed place is accessible to others.

And also follow same principal in State of Maharashtra vs. Bharat Fakira Dhivar AIR 2010 SC 16

13. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य तो प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 13-14 जनवरी, 2016 को रात्रि में फरियादी अजीत सिंह के घर के सामने से उसका महिन्द्रा टेक्टर क्रमांक आर0जे0-02 आई0 आर0-9258 की चोरी हुई थी, किंतु अभियुक्तगण के विरुद्ध यह तथ्य प्रमाणित करने में युक्तियुक्त रूप से असफल रहा है कि उक्त टेक्टर की चोरी अभियुक्तगण द्वारा की गई। अतः अभियुक्त अरविंद गुर्जर को संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त के निवेदन पर उसका मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

15. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद आवेदक के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

16. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश